intimated to State Governments for family planning programme for 1968-69 is enclosed.

Statement

ALLOCATION TO STATES FOR 1968-69

Name of the State	Rupees in lakhs
1. Andhra Pradesh .	242 ·00
2. Assam . .	40 ·00
3. Bihar . .	158 ·00
4. Gujarat . .	180 ·00
5. Haryana .	70 ·00
6. Jammu & Kashmir	31 ·00
7. Kerala . .	130 ·00
8. Madhya Pradesh	244 ·00
9. Madras .	158 ·00
10. Maharashtra	290 ·00
11. Mysore	160 ·00
12. Orissa	138 ·00
13. Punjab	95 ·00
14. Rajasthan	155 ·00
15. Uttar Pradesh .	319 ·00
16. West Bengal .	205 ·00
TOTAL .	2,615 ·00

FERTILIZER PLANT IN CEYLON

3692. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Ceylon have invited tenders to set up a Fertilizer Plant in Ceylon;

(b) if so, whether Government propose to be one of the tenderers;

(c) whether Government propose to be an independent tenderer or with some foreign collaboration; and

(d) if so, the country envisaged for collaboration and the nature of collaboration ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

श्री चिरंजीलाल गोयन्का

3693. श्री शिवपूजन शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में एडवांस इन्शोरेंस कम्पनी के मालिक, श्री चिरंजीलाल गोयन्का के घर से 82 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था, जिसके परिणाम-स्वरूप उनके विरुद्ध वारंट जारी किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि एडवांस इंशोरेंस का मालिक गिरफ्तारी से बचने के लिये नई दिल्ली के रंजीत होटल में ठहरा था और इस बात का होटल के रजिस्टरों से सत्यापन किया जा सकता है;

(ग) क्या कुछ संसद-सदस्यों ने इस मामले के बारे में उन्हें कोई पत्र लिखे हैं और यदि हां, तो इन सदस्यों के नाम क्या हैं, तथा ऐसे पत्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि उक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार ने इस बारे में पुन: जांच की है और यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एडवांस इंशोरेंस कम्पनी के निदेशक श्री चिरंजीलाल गोयन्का के यहां से 6/7 दिसम्बर, 1965 को ऐसा लगभग 86 किलोग्राम शुद्ध सोना बरामद किया गया जिसके बारे में घोषणा नहीं की गई थी। यह बरामदगी आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन जारी किये गये प्राधिकार वारण्ट के अन्तर्गत की गई। बाद में 9 दिसम्बर, 1965 को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क अधिकारियों ने भारत रक्षा (स्वर्ण-नियंत्रण) नियमों के अधीन कार्यवाही के लिए इस सोने को अपने अधिकार में ले लिया क्योंकि यह सोना उक्त नियमों के नियम 126-1 की अपेक्षा अनुसार घोषित नहीं किया गया था।